संगम ज्ञापन
तथा
नियम और विनियम
एवं
उपनियम

21 जुलाई 2002 तक संशोधित

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान
राष्ट्रपति निवास, शिमला–171005

पंजीकरण प्रमाण–पत्र

वर्ष 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम–21 (पंजाब संशोधित अधिनियम 1957) जो कि केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू है, के अंतर्गत जारी।

सं. एस 2587, 1964–1965

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि आज के दिन भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की सोसायटी वर्ष 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम–21 जो कि केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू है के अंतर्गत पंजीकृत की जाती है।

छः अक्तूबर उन्नीस सौ चौंसठ को दिल्ली में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित।

जमा शुल्क 50/– रूपए

हस्ता./–

एम. जुबेर
सोसायटी रजिस्ट्रार, दिल्ली
सोसायटी रजिस्ट्रार, दिल्ली की मोहर

अनुक्रम

1. संगम ज्ञापन 7

2. नियम और विनियम 14

3. उपनियम 26

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान
सोसायटी

साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा धर्मार्थ समितियों के पंजीकरण के अंतर्गत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (वर्ष 1860 का अधिनियम 21) के मामले में,

और

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की सोसायटी के मामले में।

संगम ज्ञापन

1. सोसायटी का नाम भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (इसके बाद सोसायटी के रूप में संदर्भित) होगा।
2. सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय शिमला में स्थित होगा।
3. सोसायटी के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं–
   (i) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना, प्रशासन और प्रबंधन करना, जो मौलिक विषयों तथा जीवन व विचार की समस्याओं के स्वतंत्र और रचनात्मक अन्वेशण के लिए एक आवासीय केंद्र होगा। संस्थान के कार्य इस प्रकार होंगे–
   (क) गहन मानवीय महत्व वाले क्षेत्रों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और अकादमिक शोध के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान के चयनित विषयों में उच्च शोधकार्य करना, व्यवस्थित करना, मार्गदर्शन करना और बढ़ावा देना, इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी शोधकार्य करना जिन्हें समय–समय पर संस्थान उचित समझे। इन विषयों के चयन में, राष्ट्रीय प्रासंगिकता के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जहां भी संभव हो, चयन से पहले संबंधित सरकारी विभागों, अनुसंधान संगठनों आदि के साथ उचित परामर्श किया जाएगा। गतिविधियों के क्षेत्रों, अध्ययन के क्षेत्रों तथा शोध विषयों की उदाहरण स्वरूप सूची परिशिष्ट–1 में दी गई है जोकि संपूर्ण नहीं है;
   (ख) उच्च परामर्श व सहयोग तथा संपूर्ण पुस्तकालय और प्रलेखन की सुविधाएं प्रदान करना;
   (ग) प्रत्येक मामले में निर्धारित की जाने वाली निर्दिष्ट अवधि के लिए शिक्षकों और अन्य विद्वानों को उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता सहित सभी सुविधाएं प्रदान करना;
   (घ) बैठकें, व्याख्यान, संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करना। शिमला में हर साल तीन संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी जिनमें एक संस्थान में हुए शोधकार्यों के परिणामों को लेकर विचार–विमर्श और चर्चा पर आधारित होगी, दूसरी संगोष्ठी संस्थान की भावी शोध

परियोजनाओं के बारे में विचार उत्पन्न करने और दिशा प्रदान करने के लिए और तीसरी संगोष्ठी 'राष्ट्रीय एकता' विषय पर आधारित होगी;

(ङ) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, ग्रीष्मकालीन स्कूलों और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना जो संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(च) व्याख्यान देने या शोध करने के लिए भारत और विदेशों के वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को आमंत्रित करना और उन्हें ऐसा पारिश्रमिक देना जो उपयुक्त समझा जाए;

(छ) किसी भी पत्रिका, सामयिक पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, पैम्फलेट, मोनोग्राफ या पोस्टर को शुरू करना, संचालित करना, मुद्रित करना, प्रकाशित करना और प्रदर्शित करना जो कि सोसायटी के लक्ष्यों के प्रचार के लिए वांछनीय माने जा सकते हैं। संस्थान को अपने प्रकाशनों का चुनाव करना होगा और प्रकाशन ऐसे हों जिनसे संस्थान की पहचान में वृद्धि हो;

(ii) शोध परिणामों के संयोजन की व्यवस्था करना ताकि आम जनता, विशेषकर बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए उनकी सामाजिक प्रासंगिकता सिद्ध हो;

(ज) ज्ञान के प्रसार और सोसायटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए अन्य शैक्षणिक संस्थाओं और विद्वानों या सरकारी निकायों के साथ सहयोग करना;

(झ) नियमों और उप–नियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, वजीफा, छात्रवृतियाँ तथा ऋण, मौद्रिक सहायता व पुरस्कारों का निर्धारण करना;

(ञ) नियमों और उप–नियमों के अनुसार कोई शुल्क या प्रभार लगाना;

(ट) विद्वानों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के रहने के लिए सभागृहों और छात्रावासों की स्थापना, रखरखाव और उनका प्रबंधन करना और;

(ठ) अकादमिक, प्रशासनिक, तकनीकी सेवा संबंधी और संस्थान द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य पदों का सृजन करना और नियमों और उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार उन पदों पर नियुक्तियां करना।

(ii) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य संस्थान या संघ का कार्यभार ग्रहण करना जिनका पूरी तरह या आंशिक रूप से संस्थान के समान उद्देश्य हो;

(iii) सोसायटी और संस्थान से संबंधित मामलों के संचालन के लिए नियम और उपनियम बनाना और समय–समय पर उनमें कुछ नया जोड़ना संशोधन करना या उन्हें निरस्त करना;

(iv) सोसायटी के उद्देश्य के लिए सरकारों, निगमों, ट्रस्टों या किसी भी व्यक्ति से अनुदान, सदस्यता, दान, उपहार प्राप्त करना या स्वीकार करना;

(v) एक निधि का रखरखाव रखना, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे–

(क) केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी प्रकार की धनराशि;

(ख) सोसायटी द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और अन्य शुल्क;

(ग) सोसायटी द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशि, उपहार, दान, उपकार, वसीयत या हस्तांतरण आदि तथा

(घ) सोसायटी द्वारा किसी अन्य तरीके से प्राप्त सभी तरह की धनराशि।

(vi) सोसायटी द्वारा केंद्र सरकार की मंजूरी के उपरांत निधि में जमा की गई सभी प्रकार की धनराशि को बैंक में जमा करवाना या उस धनराशि को निवेश करने का निर्णय लेना;

(vii) बैंक चैकों का आहरण, उन्हें तैयार करना, स्वीकार करना, परांकित करना और छूट देना, नोट या अन्य परक्राम्य लिखत और इस उद्देश्य के लिए, इस तरह के आश्वासनों और दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित और वितरित करना, जो भी सोसायटी के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो;

(viii) सोसायटी से संबंधित धनराशि या बाहर से इस तरह की निधि के किसी विशेष भाग का भुगतान करना जिसमें समय–समय पर सोसायटी द्वारा किए गए खर्च, जिसमें सोसायटी के गठन तथा किसी भी पूर्वगामी वस्तुओं का प्रबंधन और प्रशासन के लिए प्रासंगिक सभी खर्च जिसमें सभी किराए, दरें, कर, निर्गामी और कर्मचारियों का वेतन आदि शामिल हैं;

(ix) बही खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का उचित रखरखाव करना तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तुलन–पत्रों सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करना;

(x) केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार सोसायटी और संस्थान के खातों का लेखा परीक्षण और इसका वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना। सोसायटी के खातों को सनदी लेखाकारों द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया जाए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में हो और उसके साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी संलग्न हो;

(xi) (क) सोसायटी के कर्मचारियों के लाभ के लिए सेवानिवृत्ति योजनाओं को स्थापित करना और बनाए रखना;

(ख) सोसायटी के शिक्षकों, अधिकारीगण और अन्य कर्मचारियों तथा उनकी पत्नियों, उनके बच्चों या अन्य आश्रितों को धर्मार्थ सहायता देना;

(ग) सोसायटी के प्रयोजनों के लिए किसी भी तरह से संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, निपटान और अन्यथा सौदा करने के लिए बशर्ते कि अचल संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई हो;

(घ) केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन पर, सोसायटी से संबंधित सभी या किसी भी अचल संपत्ति पर किसी भी बंधक, प्रभार, दृष्टिबंधक या गिरवी की सुरक्षा पर या उसके बिना या सोसायटी के उद्देश्य के लिए किसी अन्य तरीके से ऋण लेना अथवा धन जुटाना;

(ङ) कार्यालयों, आवासों, छात्रावासों, विद्यालयों या अन्य भवनों का निर्माण और उनका रखरखाव करना और किसी भी मौजूदा भवन सहित उसे बदलना, बढ़ाना, सुधारना, मरम्मत करना, विस्तार करना या संशोधित करना और उसे प्रकाश, पानी, जल निकासी, फर्नीचर, फिटिंग, उपकरण और साधन और अन्य सामान सहित सुसज्जित करने की व्यवस्था करना और सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन भवनों को प्रयोग में लाना; और

(च) सोसायटी से संबंधित या अधिग्रहण की गई भूमि पर निर्माण करना या अन्यथा अधिग्रहण, रूपरेखा बनाना, मरम्मत करना विस्तार करना, किसी भी भूमि, मनोरंजन या खेल के मैदानों, पार्कों या किसी अन्य अचल संपत्ति को बदलना, बढ़ाना, सुधारना और उसका प्रयोग करना।

(xii) सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समितियों या उप–समितियों का गठन करना;

(xiii) अपनी किसी या सभी शक्तियों को शासी निकाय या उसके द्वारा गठित अन्य समितियों या उप–समितियों को सौंपना;

(xiv) सोसायटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ऐसे सभी वैध कार्य करना और साधन जुटाना जो पूर्वोक्त शक्तियों के लिए आकस्मिक हों या नहीं;

4. (क) संस्थान द्वारा सोसायटी की ओर से आयोजित सभी अध्ययन एवं अन्य कार्यक्रमों में किसी भी लिंग, श्रेणी, धर्म, समुदाय, जाति या वर्ग के व्यक्ति भाग ले सकते हैं और सदस्यों, विद्वानों, शिक्षकों, कामगारों या किसी भी अन्य संबंध में किसी भी प्रकार की भर्ती या नियुक्ति में धार्मिक विश्वास या पेशे के संबंध में कोई छानबीन नहीं की जाएगी या शर्त नहीं लगाई जाएगी; तथा

(ख) सोसायटी द्वारा कोई भी उपकार स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें उसकी राय में, सोसायटी की भावना और उद्देश्यों के विपरीत शर्तों या दायित्वों को शामिल किया गया हो।

5. केंद्र सरकार सोसायटी और संस्थान की कार्य–प्रगति की समीक्षा करने और उसके मामलों की जांच करने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से काम करें। ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो रिपोर्ट

में सुझाए गए किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक समझे गए हों और सोसायटी या संस्थान, जो भी हो, उन निर्देशों की अनुपालना के लिए बाध्य होंगे;

6. केंद्र सरकार, सोसायटी या संस्थान को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जिन्हें वह सोसायटी या संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और उनके उचित और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे;

7. सोसायटी के पास जो भी आय और संपत्ति हो, उसे केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर लागू शर्तों या सीमाओं के अंतर्गत इस संगम–ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्यों के प्रचार के लिए प्रयोग किया जाएगा। सोसायटी की आय और संपत्ति का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लाभांश, बोनस या अन्यथा लाभ के रूप में, उन व्यक्तियों को भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, जो किसी भी समय सोसायटी, शासी निकाय के सदस्य हैं या रहे हैं या उनमें से कोई या उनके या उनमें से किसी के माध्यम से यह दावा करे कि ऐसा कुछ भी नहीं जो सोसायटी को प्रदान की गई किसी भी सेवाओं के बदले में किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्ति को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक या किसी भत्ते या इस तरह के शुल्क पर रोक लगा दी जाएगी।

8. सोसायटी के शासी निकाय के प्रथम सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसाय जिन्हें सोसायटी के नियमों और विनियमों के अंतर्गत उसके मामलों का प्रबंधन सौंपा गया है–

क्रमांक	नाम	पता	स्थिति
1.	श्री एम.सी. छागला	शिक्षा मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	डॉ. सी.डी. देशमुख	कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	उपाध्यक्ष
3.	प्रोफेसर के.जी. सैयदीन	320 डी–11, पंडारा रोड़, नई दिल्ली	सदस्य
4.	डॉ. वी राघवन	संस्कृत प्राध्यापक़, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास	सदस्य
5.	डॉ. नगेन्द्र	प्राध्यापक एवं प्रमुख, हिन्दी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
6.	श्री पी.एन. किरपाल	सचिव (शिक्षा) शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य

9. शासी निकाय के तीन सदस्यों द्वारा सोसायटी के नियमों की एक

प्रमाणित प्रतिलिपि संगम–ज्ञापन के साथ संलग्न की जाती है।

10. हम सभी सदस्य जिनके नाम व पते नीचे दिए गए हैं इस संगम–ज्ञापन में निहित उद्देश्य से संबद्ध होते हुए, इस संज्ञम–ज्ञापन के प्रति अपनी सदस्यता ग्रहण करते हैं और आज 6 अक्तूबर 1964 को सोसायटी अधिनियम 21 (1860) के अंतर्गत अपने हस्ताक्षर से एक सोसायटी की स्थापना करते हैं।

क्रमांक	सदस्यों का नाम, पता व व्यवसाय	सदस्यों के हस्ताक्षर	गवाहों के नाम, पता व व्यवसाय	गवाहों के हस्ताक्षर
1.	श्री एम.सी. छागला शिक्षा मंत्री	हस्ता./– एम.सी. छागला	श्री डी.के. हिंगोरानी शिक्षा मंत्री के उच्च शैक्षणिक सलाहकार	हस्ता./– डी.के. हिंगोरानी
2.	डॉ. डी.एस. कोठारी अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	हस्ता./– डी.एस. कोठारी	यथोपरि	यथोपरि
3.	डॉ. सी.डी. देशमुख कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	हस्ता./– सी.डी. देशमुख	यथोपरि	यथोपरि
4.	डॉ. गोपाल सिंह सांसद, राज्य सभा	हस्ता./– गोपाल सिंह	यथोपरि	यथोपरि
5.	डॉ. ए.सी जोशी कुलपति पंजाब विश्वविद्यालय,	हस्ता./– ए.सी जोशी	यथोपरि	यथोपरि
6.	डॉ. पी.के. केल्कर निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	हस्ता./– पी.के. केल्कर	यथोपरि	यथोपरि
7.	श्री पी.एन. किरपाल सचिव (शिक्षा) शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली	हस्ता./– प्रेम किरपाल	यथोपरि	यथोपरि

परिशिष्ट– संस्थान के संगम–ज्ञापन 1 से अधिनियम 3(i) (क) तक गतिविधियों के क्षेत्र

(क) शोध के क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जो अंतर्विद्यात्मक अनुसंधान का उन्नयन करें।
(ख) अनुसंधान की विषय–वस्तु गहन मानवीय महत्त्व की होनी चाहिए।
(ग) शोध की विषय–वस्तु उनसे संबंधित होनी चाहिए जिन्हें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता हो मगर ज्यादा महंगी भी न हो।
(घ) शोध मुख्यतः उन क्षेत्रों में होना चाहिए जिनमें प्रख्यात विद्वानों को आकर्षित किया जा सके। इसका एक उद्देश्य अंतर्विद्यात्मक अनुसंधान के लिए प्रणाली संबंधी रूपरेखा का विकास करना तथा दूसरा उत्पादन के स्तर की ग्रहणीयता सुनिश्चित करना है ताकि भविष्य में अधिक क्षेत्रों में ऐसे प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया जा सके। शोध परियोजनाओं के चयन के समय राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिए। जब भी संभव हो विषय–वस्तु के निर्धारण में सरकारी विभागों, शोध संस्थानों आदि से उचित विचार–विमर्श करना चाहिए। जैसे भी प्रत्येक शोध परियोजना के निश्चित समय सीमा होनी चाहिए तथा किन्हीं भी परिस्थितियों में परियोजना की समयावधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। परिणामस्वरूप इन शोध परियोजनाओं के पूर्ण होने पर उनका प्रकाशन किया जाना चाहिए।

अध्ययन के क्षेत्र

(क) सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक दर्शन,
(ख) तुलनात्मक भारतीय साहित्य (जिसमें प्राचीन मध्यकालीन, आधुनिक, लोक और आदिवासी–साहित्य भी हो),
(ग) दर्शन और धर्म का तुलनात्मक अध्ययन,
(घ) शिक्षा, संस्कृति और कला, जिसमें निष्पादन कलाएँ और हस्तशिल्प भी हों,
(ड) तर्क और गणित की मौलिक अवधारणाएँ और समस्याएँ
(च) प्राकृतिक और सामाजिक (जीवन) विज्ञानों की मौलिक अवधारणाएँ और समस्याएँ,
(छ) प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन,
(ज) एशियाई पड़ोसियों के संदर्भ में भारतीय सभ्यता, और
(झ) राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में समसामयिक भारत की समस्याएँ।

निम्नलिखित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए–

(क) अनेकता में भारतीय एकता का विषय;
(ख) भारतीय चेतना की अनिवार्यता;

(ग) भारतीय प्ररिप्रेक्ष्य में शिक्षा का दर्शन;
(घ) प्राकृतिक विज्ञानों में उच्च अवधारणाएँ और उनकी दार्शनिक आशय;
(ड) विज्ञान और अध्यात्म के संश्लेषण में भारत और एशिया का योगदान,
(च) भारतीय मानव एकता,
(छ) भारतीय साहित्य एक परिचय,
(ज) भारतीय महाकाव्यों का तुलनात्मक अध्ययन,
(झ) मानव पर्यावरण।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की सोसायटी के नियम तथा विनियम

1. लघु शीर्षक : ये नियम तथा विनियम भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की सोसायटी के नियम कहलाएंगे।
2. परिभाषा– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
   (i) सोसायटी से अभिप्रायः भारतीय उच्च अध्ययन की सोसायटी से है।
   (ii) शासी निकाय का अर्थ होगा संस्थान की शासी निकाय जिसे नियम 25 के तहत गठित किया जाएगा।
   (iii) संस्थान से अभिप्रायः भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से होगा।
   (iv) अध्यक्ष से अभिप्रायः सोसायटी के अध्यक्ष होगा तथा उपाध्यक्ष का सोसायटी के उपाध्यक्ष से होगा।
   (v) अध्यक्ष से अभिप्रायः शासी निकाय के अध्यक्ष से है; उपाध्यक्ष से अभिप्रायः शासी निकाय से उपाध्यक्ष से होगा।
   (vi) निदेशक से अभिप्रायः भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक से होगा।
   (vii) सचिव से अभिप्रायः भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के सचिव से होगा।
3. (क) सोसायटी में निम्नलिखित संस्थागत सदस्य (पदेन) शामिल होंगे–
   (i) शिक्षा सचिव;
   (ii) व्यय सचिव;
   (iii) शैक्षिक सलाहकार, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी;
   (iv) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
   (v) महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद अनुसंधान;
   (vi) अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद अनुसंधान;
   (vii) अध्यक्ष, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद;
   (viii) अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद;
   (ix) अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास;
   (x) अध्यक्ष, साहित्य अकादमी
   (xi) अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी;

(xii) अध्यक्ष, ललित कला अकादमी;
(xiii) अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी;
(xiv) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से एक उपाध्यक्ष;
(xv) अध्यक्ष, भारतीय विश्वविद्यालय संघ;
(xvi) निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय;
(xvii) निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार; तथा
(xviii) राज्य का मुख्य सचिव, जहाँ संस्थान स्थित है, या उसका अधिकृत प्रतिनिधि।

(ख) मनोनीत सदस्य
(i) केंद्र सरकार द्वारा नामित भारतीय विश्वविद्यालयों के छः कुलपति; तथा
(ii) केंद्र सरकार द्वारा नामित 18 से 24 शिक्षाविद और जो शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं।

(ग) संस्थान के प्रतिनिधि
(i) निदेशक;
(ii) तत्कालीन अध्ययनरत सभी अध्येता;
(iii) तत्कालीन पदासीन सभी विशिष्ट अतिथि; तथा
(iv) सोसायटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा सोसायटी के सदस्यों में से नामित किया जाएगा।

4. नियम 3 (बी) और 3 (सी) के अंतर्गत नियुक्त किए गए सदस्यों के अलावा सोसायटी का कोई अन्य सदस्य सोसायटी, या इसके किसी भी निकाय या समितियों की किसी भी बैठक में भाग न ले सकता हो तो वह बैठक में अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने और अधिकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा। सोसायटी के ऐसे प्रतिनिधि के पास सोसायटी के सदस्य के सभी अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, जिसमें बैठक के दौरान वोट देने का अधिकार भी शामिल है।

5. सोसायटी अपने सदस्यों के लिए एक हाजिरी रजिस्टर रखेगी और सोसायटी का प्रत्येक सदस्य की सोसायटी उसमें हस्ताक्षर करेगा और उसमें वह अपना नाम, व्यवसाय और पता भी दर्ज करेगा।

6. यदि सोसायटी का कोई सदस्य अपना पता बदलता है, तो वह सचिव को अपने नए पते के बारे में सूचित करेगा और जो सदस्यों की नामावली में उसका नया पता दर्ज करेगा। लेकिन यदि वह अपना नया पता सूचित करने में विफल रहता है, तो सदस्यों की नामावली में पता उसका पता माना जाएगा।

7. यदि कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के कारण सोसायटी का सदस्य बन जाता है, तो उस पद या नियुक्ति की समाप्ति पर सोसायटी से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अन्य सदस्य तीन साल के लिए पद पर रहेंगे।

सभी निवर्तमान सदस्य पुनर्निर्युक्ति के पात्र होंगे।

*(क) सोसायटी अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर लंबित कार्यों को पूरा करना जारी रखेगी जब तक भारत सरकार द्वारा नई सोसायटी का गठन नहीं किया जाता

8. सोसायटी का कोई सदस्य सदस्य नहीं रहेगा यदि–

(क) वह मर जाता है, त्याग–पत्र दे देता है, मानसिक रोगी हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता के किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो या

(ख) अध्यक्ष की अनुमति के बिना वह लगातार तीन बैठकों में भाग नहीं लेता है

(ग) निदेशक के अलावा कोई भी सदस्य संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है।

(घ) जिस प्राधिकारी ने उसे चुना है वह उसकी सदस्यता समाप्त कर देता है।

9. (क) सोसायटी की सदस्यता का त्यागपत्र सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे सोसायटी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। उपरोक्त कारणों में से किसी भी कारण से यदि रिक्त सदस्यता को भरा जाता है, तो वह नियम 3 के अंतर्गत भरी जाएगी और नव मनोनीत सदस्य केवल बचे हुए कार्यकाल के ही सदस्य होगा।

(ख) सोसायटी का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष केन्द्र सरकार को अपना त्याग–पत्र दे सकता है और त्याग–पत्र उस दिन से प्रभावी माना जाएगा जिस तिथि सरकार द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है।

10. सोसायटी किसी भी रिक्ति के बावजूद और इसके किसी सदस्य की नियुक्ति या नामांकन में किसी त्रुटि के होते हुए भी कार्य करेगी। सोसायटी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के होने या उसके सदस्यों की नियुक्ति या नामांकन में किसी प्रकार की त्रुटि के कारण अमान्य नहीं होगी।

सोसायटी के प्राधिकारी

11. सोसायटी के निम्नलिखित अधिकारी होंगे–

(i) शासी निकाय;

(ii) शासी निकाय के अध्यक्ष;

(iii) शासी निकाय के उपाध्यक्ष;

---

* भारत सरकार, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्या एफ.6.30/2002/यू.3, दिनांक 20.12.2002 के अंतर्गत अनुमोदित।

(iv) निदेशक;

(v) संस्थान का सचिव, सोसायटी का सचिव होगा और वह प्रशासनिक कार्यों में निदेशक की सहायता करेगा।

(vi) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो शासी निकाय द्वारा गठित किए जा सकते हैं।

12. सोसायटी तथा संस्थान का प्रधान कार्यकारी अधिकारी निदेशक होगा।

13. निदेशक के अलावा सचिव तथा समय–समय पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए अन्य अधिकारी सोसायटी के अधिकारी होंगे।

14. (क) निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया

(i) निदेशक की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी। एक चयन समिति जिसके शासी निकाय द्वारा नामित दो सदस्य तथा एक सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नामित होता है, नामों का एक पैनल तैयार करेगी और उसे शासी निकाय के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो इसे अपनी सिफारिशों के साथ केंद्र सरकार के समक्ष रखेगा। सरकार सुझाए गए नामों में से एक को मंजूरी देगी या फिर अध्यक्ष को चयन समिति द्वारा नया पैनल तैयार करने के लिए कहेगी।

(ii) निदेशक का कार्यकाल तीन साल का होगा जिसे आगामी तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते 65 साल की उम्र में उसकी सेवानिवृति होगी।

(ख) सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया

सचिव की नियुक्ति समय–समय पर निर्धारित नियम व शर्तों के आधार पर केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन पर शासी निकाय द्वारा की जाएगी।

(ग) उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति समय–समय पर निर्धारित नियम व शर्तों के आधार पर केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन पर शासी निकाय द्वारा की जाएगी।

15. सोसायटी का कार्यालय राष्ट्रपति निवास, शिमला में होगा।

सोसायटी की कार्यवाही

16. (i) सोसायटी की वार्षिक आम बैठक का समय, तिथि तथा स्थान अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ii) जब भी अध्यक्ष अथवा अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उचित समझें सोसायटी की बैठक बुलाई जा सकती है।

(iii) यदि कम से कम बीस सदस्य बैठक का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए लिखित में दें तो अध्यक्ष अथवा अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा सोसायटी की बैठक बुलाई जा सकती है।

17. इन नियमों में यथा उपबंधित को छोड़कर, समिति की समस्त बैठकें सचिव

की हस्ताक्षरित सूचना द्वारा बुलायी जाएंगी।

18. सोसायटी की बैठक बुलाए जाने के संदर्भ में जारी की जाने वाली प्रत्येक सूचना में बैठक की तिथि, समय व स्थान का उल्लेख होना चाहिए और बैठक आयोजित होने से कम से कम 20 दिन पूर्व इसकी सूचना सोसायटी के सभी सदस्यों को दी जानी चाहिए। अध्यक्ष अथवा अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा यदि उचित समझा जाए तो अल्प सूचना के आधार पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है, जिसका कारण दर्ज होना चाहिए।

19. सोसायटी की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा, यदि दोनों ही उपस्थित न हों तो बैठक में उपस्थित सदस्य किसी एक सदस्य को उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुना जा सकता है।

20. सोसायटी के 20 व उससे अधिक सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति या नियम 4 के अंतर्गत उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति सोसायटी की प्रत्येक बैठक के कोरम के लिए आवश्यक है।

21. (क) सभी विवादित मामलों का निपटारा मतदान द्वारा किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य समेत प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। यदि सोसायटी द्वारा निपटाए जाने के किसी मामले में मतों की समानता पाई जाती है तो अध्यक्षता करने वाला सदस्य अतिरिक्त मतदान कर सकता है।

(ख) सोसायटी द्वारा संपादित किया जाने वाले कोई भी आवश्यक कार्य सभी सदस्यों के बीच संचलन द्वारा किया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित और सदस्यों के बहुमत से हस्ताक्षरित कोई भी संकल्प/प्रस्ताव प्रभावी और बाध्यकारी होगा, यदि ऐसा प्रस्ताव सोसायटी की बैठक में पारित किया गया हो, बशर्ते कि उस प्रस्ताव पर सोसायटी के कम से कम बारह सदस्यों ने अपने विचार दर्ज किए हों।

22. सचिव सोसायटी की बैठक के कार्यवृत का अभिलेख रखेगा और उसकी प्रतिलिपि केन्द्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजनी होगी।

23. सोसायटी के किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर या सदस्यों की सूची में दिए गए पते पर डाक द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है।

24. डाक द्वारा प्रेशित कोई भी ऐसा नोटिस पत्र, लिफाफे या किसी अन्य आवरण से भेजे जाने के दिन से अगले दो दिनों में मान लिया जाएगा कि उक्त नोटिस संबंधित सदस्य तक पहुंच गया होगा और यह साबित करने के लिए प्रर्याप्त होगा कि जिस बंद लिफाफे में उक्त नोटिस भेजा गया है उस पर सही पता लिखा गया था और उसे डाकघर में डाक से भेजने के लिए पहुँचा दिया गया था।

शासी निकाय

25. (क) सोसायटी के नियमों तथा विनियमों, उप–नियमों तथा कार्यविधि के अंतर्गत, सोसायटी के मामलों को एक शासी निकाय द्वारा प्रशासित, निर्देशित और नियंत्रित किया जाएगा। 1860 के अधिनियम XXI के प्रयोजनों के लिए सोसायटी के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(i) केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष जोकि एक प्रतिष्ठित विद्वान हो;

(ii) संस्थान का निदेशक;

(iii) शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का एक–एक प्रतिनिधि, जो कम से कम संयुक्त सचिव पर आसीन हो;

(iv) पांच निम्नलिखित संस्थागत सदस्य–

(क) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(ख) अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

(ग) अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद

(घ) महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

(ङ) अध्यक्ष, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

शासी निकाय की बैठकों में इन संस्थागत मनोनीत सदस्यों के स्थान पर उनके प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं।

(v) सोसायटी के सदस्यों की श्रेणी 3(बी) (i) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित दो कुलपति।

(vi) (क) सोसायटी के सदस्यों की श्रेणी 3(बी)(ii) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित चार सदस्य।

(ख) शासी निकाय के उपाध्यक्ष का मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा शासी निकाय के सदस्यों में से किया जाएगा।

26. सचिव, शासी निकाय का गैर–सदस्य सचिव होगा।

27. इस संदर्भ में यह प्रावधान है कि शासी निकाय के सदस्यों का कार्यकाल एक बार में तीन वर्ष का होगा।

*(क) जब तक भारत सरकार द्वारा नए शासी निकाय का पुनर्गठन नहीं किया जाए, पूर्व में गठित शासी निकाय अपने तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के उपरांत भी कार्य करना जारी रखेगा।

28. शासी निकाय के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि–

(क) वह मर जाता है, इस्तीफा दे देता है, किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या किसी नैतिक भ्रष्टाचार के

---

* भारत सरकार, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्या एफ–6–30/2002–यू. 3 दिनांक 20.12.2002 के अंतर्गत अनुमोदित।

अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो;

(ख) वह शासी निकाय के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की उचित अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे;

(ग) सोसायटी में से नामित सदस्य होने के नाते, वह सोसायटी का सदस्य न रहे; या

(घ) कार्यालय या नियुक्ति के कारण सदस्य होने के नाते वह उस पद अथवा नियुक्ति ग्रहण या समाप्त करता है

29. शासी निकाय की सदस्यता से त्यागपत्र सचिव को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और यह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे संस्थान की ओर से अध्यक्ष अथा उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

30. शासी निकाय की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर उसे नियम–25 के प्रावधान के अनुसार भरा जाएगा और रिक्ति में नियुक्त व्यक्ति केवल उस सदस्य के कार्यकाल की असमाप्त अवधि के लिए पदभार ग्रहण करेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किर गया हो।

31. शासी निकाय बावजूद इसके कार्य करेगा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने पद के आधार पर सदस्य होने का हकदार है, उसे कुछ समय के लिए शासी निकाय के सदस्य के रूप में आमंत्रित नहीं किया जाता है और निकाय में किसी अन्य रिक्ति के बावजूद, नियुक्ति करने के हकदार प्राधिकारी द्वारा गैर–नियुक्ति द्वारा या अन्यथा, और शासी निकाय के किसी भी कार्य या कार्यवाही को केवल उपरोक्त घटनाओं में से किसी के होने या उसके किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी कमी के कारण अमान्य नहीं किया जाएगा।

शासी निकाय की बैठकों की कार्यवाही

32. शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों तो ऐसी अवस्था में बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी भी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकते हैं। विशेष मामलों में अध्यक्ष द्वारा सलाहकार के तौर पर दूसरे व्यक्तियों को किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है और वे बैठक में भाग ले सकते हैं मगर उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

33. शासी निकाय के पांच सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति शासी निकाय की किसी भी बैठक के लिए निर्दिष्ट संख्या मानी जाएगी।

34. शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य को शासी निकाय की प्रत्येक बैठक के बारे में कम से कम 10 स्पष्ट दिन पूर्व सूचना देनी होगी। इससे अल्पकालीन

सूचना देकर भी बैठक बुलाई जा सकती है बशर्ते कि इस बारे में अध्यक्ष तथा अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो भी उचित समझें उन्हें अभिलिखित कारण देना होगा।

35. शासी निकाय की बैठक बुलाने वाली प्रत्येक सूचना में बैठक की तिथि, समय और स्थान जहां बैठक आयोजित की जाएगी तथा, इन नियमों में अन्यथा के प्रावधान को छोड़कर, यह सूचना सचिव के हस्ताक्षर से जारी की जाएगी।

36. शासी निकाय एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करेगा और निकाय की किन्हीं दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ और आगामी कलेण्डर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त माना जाएगा।

37. अध्यक्ष सहित शासी निकाय का प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि किसी मामले में मतों की समानता होगी तो अध्यक्ष के पास एक अतिरिक्त, मत सुरक्षित होगा।

38. शासी निकाय की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक कोई भी मामला सभी सदस्यों में प्रसारित किया जाएगा और इस प्रकार परिचालित और अनुमोदित सदस्यों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी संकल्प/प्रस्ताव उतना ही प्रभावी और बाध्यकारी होगा जैसे कि ऐसा प्रस्ताव शासी निकाय की बैठक में पारित किया गया हो बशर्ते कि शासी निकाय के कम से कम पांच सदस्यों ने उस प्रस्ताव पर अपने बयान दर्ज किए हों।

39. (i) यदि किसी मामले में जैसा कि उल्लिखित है शासी निकाय के सदस्यों के मत विभिन्नता हो तो बहुमत की राय मान्य होगी।

(ii) अध्यक्ष की राय में कोई भी मामला केंद्र सरकार के निर्णय के लिए आवश्यक हो और इस तरह के संदर्भ को सही ठहराने के लिए पर्याप्त कारण हो, तो ऐसा निर्णय सोसायटी और शासी निकाय के लिए मान्य होगा।

शासी निकाय के कार्य और उसकी शक्तियां

40. सामान्यतः शासी निकाय का यह कार्य होगा कि वह संगम–ज्ञापन में निर्धारित सोसायटी के उद्देश्यों को पूरा करे।

41. शासी निकाय के पास सोसायटी के सभी मामलों और निधियों का प्रबंधन होगा तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर व्यय संबंधी तय की गई सीमाओं के अंतर्गत सोसायटी की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा और उसके पास विभिन्न नियुक्तियां करने की शक्ति होगी।

42. (i) शासी निकाय के पास उप–नियम बनाने की शक्ति होगी मगर इसका प्रयोग नियमों और विनियमों के विरुद्ध और उन्हें समय–समय पर सोसायटी के प्रशासनिक और प्रबंधकीय मामलों के लिए संशोधित

और निरस्त करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(ii) पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, निम्नलिखित मामलों में ये उप–नियम प्रदान बनाए जा सकते हैं–

(क) बजट का आकलन तैयार करना तथा उसकी मंजूरी प्रदान करना, व्यय की स्वीकृति, अनुबंधों का निर्माण और निष्पादन, सोसायटी की निधियों का निवेश और ऐसे निवेश की बिक्री या प्रत्यावर्तन, लेखे तैयार करना तथा उनका लेखा परीक्षण करवाना;

(ख) सलाहकार परिषदों अथवा समितियों, समय–समय पर गठित स्थायी और अन्य उप समितियों की शक्तियों, उनके कार्यों तथा कार्य–संचालन तथा उनके सदस्यों की पदावधि का निर्धारण करना;

(ग) सोसायटी, संस्थान तथा सोसायटी द्वारा स्थापति व अनुरक्षित अन्य संगठनों के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया;

(घ) सोसायटी के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां, परिलब्धियां, भत्ते, अनुशासन के नियम तथा सेवा की अन्य शर्तें व कार्यकाल;

(ङ) छात्रवृतियों व अध्येतावृत्तियों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन स्कूलों, अनुसंधान योजनाओं व परियोजनाओं को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें तथा पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं की स्थापना; और

(च) ऐसे अन्य मामले जो सोसायटी के कामकाज के उद्देश्यों तथा उसके उचित प्रशासन को गति प्रदान के लिए आवश्यक हों।

43. इन नियमों और विनियमों और उपनियमों के अधीन, शासी निकाय या कोई भी सदस्य या निकाय जिसे शासी निकाय द्वारा इस संबंध में अधिकृत किया जा सकता है, उसे सोसायटी के मामलों के संचालन के लिए सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने, बजट प्रावधान के अंतर्गत उनके पारिश्रमिक की राशि तय करने, और उनके कर्तव्यों को निर्धारित करने की की शक्ति होगी।

44. शासी निकाय के पास भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक या निजी संगठनों या व्यक्तियों के साथ पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर बंदोबस्ती, सहायता अनुदान, दान, या उपहार प्राप्त करने और स्वीकार करने के लिए व्यवस्था करने की शक्ति होगी, बशर्ते कि ऐसे अनुदान की शर्तें –सहायता, दान या उपहार, यदि कोई हो, सोसायटी की प्रकृति या उद्देश्यों या इन नियमों के प्रावधानों के असंगत या उनका विरोधाभासी न हो। हालाँकि, विदेशी सरकारों या संगठनों से किसी भी उपहार या सहायता को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है।

45. शासी निकाय के पास सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों से पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, संग्रह, अचल संपत्तियों,

चंदे या अन्य निधियों को हस्तांतरित करने के इच्छुक किसी भी सहायक दायित्वों और अनुबंधों के साथ अभिग्रहण करने, खरीदने, उपहार या अन्य रूप से प्राप्त करने की शक्ति होगी बशर्ते वह संगम–ज्ञापन में निहित नियमों व प्रावधानों के असंगत न हो। तथापि, विदेशी सरकारों या संगठनों से किसी भी रूप में कोई उपहार और सहायता स्वीकार करने के लिए भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

46. शासी निकाय द्वारा निदेशक या अपने किसी भी सदस्य/या प्राधिकरण अथवा सोसायटी के किसी अधिकारी को ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों और ऐसे कर्तव्यों का कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिसे वह उन शक्तियों के क्रियान्वयन की सीमाओं के अनुसार उचित समझे।

47. शासी निकाय द्वारा प्रस्ताव पारित कर निम्नोक्त नियुक्तियां की जा सकती हैं–

(क) शक्तियों के साथ समितियां अथवा उपसमितियां जिन्हें शासी निकाय द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित समझा जाए।

(ख) सलाहकार परिशदें या समितियां जिन्हें शासी निकाय उचित समझे। उनमें ऐसे व्यक्ति शामिल हों जिन्हें ऐसे परामर्श कार्यों के लिए सोसायटी का सदस्य होना आवश्यक न हो। विशेष रूप से, नियम–58 के अंतर्गत एक वित्त समिति की नियुक्ति की जाएगी।

शासी निकाय द्वारा किसी भी समय, किसी भी समिति, परिषद या बोर्ड को भंग किया जा सकता है।

अध्यक्ष की शक्तियां

48. अध्यक्ष द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा इस तरह के कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन इन नियमों तथा सोसायटी के उप–नियमों एवं शासी निकाय के प्रत्यायोजन के अंतर्गत किया जा सकता है। अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

49. यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष अपनी शक्तियों का शासी निकाय के किसी सदस्य या सोसायटी या संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकरण को प्रत्यायोजन कर सकता है।

निदेशक के कार्य और शक्तियां

50. शासी निकाय द्वारा दिए जा सकने वाले किसी भी निर्देश के अधीन, सोसायटी का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होने के नाते निदेशक, शासी निकाय के अध्यक्ष के निर्देशन और मार्गदर्शन में सोसायटी, संस्थान और सोसायटी के विभागों से संबंधित मामलों के उचित प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा। उपरोक्त के किसी पूर्वाग्रह के बिना निदेशक सोसायटी के

लेखों और बजट के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होगा।

51. निदेशक नियमों और विनियमों तथा उपनियमों के अंतर्गत अपने प्रभार में आने वाले कार्यों का निष्पादन कर सकता है अथवा सोसायटी द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों व कर्तव्यों के अनुरूप कार्य सकता है।

52. निदेशक सोसायटी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करेगा और आवश्यक होने पर उसे इस तरह के पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग नियमों और उपनियमों के अंतर्गत करना होगा।

53. निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह सोसायटी और संस्थान तथा सोसायटी द्वारा स्थापित अन्य संगठनों के अंतर्गत होने वाले सभी अनुसंधानों, प्रशिक्षणों, पुनश्चर्यों पाठ्यक्रमों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों तथा अन्य गतिविधियों का समन्वय तथा सामान्य पर्यवेक्षण करे।

54. निदेशक अपनी शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष के निर्देशन, अधीक्षण तथा नियंत्रण में करेगा।

सोसायटी की निधि

55. भारतीय स्टेट बैंक सोसायटी का बैंकपति/बैंक संचालक होगा। सोसायटी के खाते में सभी प्रकार की धनराशि का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से किया जाएगा और किसी भी राशि का आहरण शासी निकाय द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकार प्राप्त अधिकारियों के हस्ताक्षरित और प्रतिहस्ताक्षरित बैंक चैक के अलावा नहीं किया जाएगा।

56. संस्थान के शासी निकाय के ऊपर वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति सोसायटी का वित्तीय सलाहकार होगा।

57. (क) सोसायटी से जुड़े वित्तीय पहलुओं से संबंधित मामलों को परामर्श के लिए वित्तीय सलाहकार के पास भेजा जाएगा।

(ख) यदि वित्तीय सलाहकार द्वारा किसी भी मामले में दी गई सलाह को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो अध्यक्ष द्वारा उक्त मामले को निर्णय के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रेशित किया जाएगा।

58. शासी निकाय द्वारा पांच सदस्यीय एक वित्त समिति नियुक्ति की जाएगी। इन सदस्यों में संस्थान के निदेशक तथा शिक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार पदेन सदस्य होंगे। वित्त समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा की जाएगी।

59. वित्त समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे–

(क) सोसायटी के खातों और बजट अनुमानों की जांच करना और शासी को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करना;

(ख) प्रमुख कार्यों और खरीद के नए व्यय संबंधी प्रस्तावों पर विचार और

शासी निकाय को संस्तुति प्रदान करना। ऐसे मामलों को शासी निकाय द्वारा विचार करने से पूर्व वित्त समिति की राय के लिए भेजा जाएगा;

(ग) पुनर्विनियोग विवरणों और लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संवीक्षा करना और संस्तुति सहित शासी निकाय को भेजना;

(घ) समय–समय पर सोसायटी के वित्त की समीक्षा करना और जहां कहीं आवश्यक हो, समवर्ती लेखापरीक्षा कराना; और

(ङ) सोसायटी के कामकाज को प्रभावित करने वाले किसी अन्य वित्तीय प्रश्न के बारे में परामर्श देना तथा शासी निकाय को संस्तुति प्रदान करना।

लेखा और लेखापरीक्षा

60. (क) सोसायटी द्वारा लेखों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तुलन पत्र सहित खातों का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा।

(ख) केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप सोसायटी के खातों का वार्षिक लेखापरीक्षण किया जाएगा और लेखापरीक्षा के संबंध में किए गए किसी भी व्यय का भुगतान सोसायटी द्वारा किया जाएगा।

(ग) लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित सोसायटी के खातों को संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक आधार पर केंद्र सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट

61. केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सोसायटी के सदस्यों की जानकारी के लिए सोसायटी की कार्यवाहियों की वार्षिक रिपोर्ट तथा सोसायटी के कामकाज की रिपोर्ट शासी निकाय द्वारा तैयार की जाएगी। सोसायटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट का एक मसौदा और वार्षिक खातों का लेखा परीक्षित विवरण सोसायटी की वार्षिक आम बैठक में विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इसे लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा।

नियमों और विनियमों में संशोधन

62. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के प्रावधानों के अधीन 1860 में, सोसायटी उन उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकती है या विस्तार कर सकती है

जिनके लिए इसे केंद्र सरकार की पिछली सहमति से स्थापित किया गया है।

63. समिति की किसी भी बैठक जिसे इस उद्देश्य के लिए विधिवत बुलाया गया हो उसमें उपस्थित सोसायटी के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा केंद्र सरकार की मंजूरी के उपरांत सोसायटी के नियमों और विनियमों को किसी भी समय बदला जा सकता है।

शासी निकाय के हम निम्नलिखित सदस्य प्रमाणित करते हैं कि सोसायटी के नियमों एवं विनियमों की प्रतिलिपि सही है।

क्रमांक	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री एम.सी. छागला	शिक्षा मंत्री, भारत सरकार	हस्ता./– एम.सी. छागला
2.	डॉ. सी.डी. देशमुख	कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	हस्ता./– सी.डी. देशमुख
3.	श्री पी.एन. कृपाल	शिक्षा सचिव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	हस्ता./– प्रेम कृपाल

उप-नियम

बजट

1. निदेशक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए गत वित्त वर्ष की पहली अक्तूबर तक सोसायटी की प्राप्तियों और व्यय का विस्तृत आकलन तैयार किया जाएगा।
2. अनुमोदित योजना पर व्यय जोकि वित्तीय वर्ष के आकलन में सम्मिलित न हो उसे शासी निकाय के अनुमोदन के हिसाब से किया पूरा किया जाएगा।
3. निदेशक द्वारा बजट आकलन को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो इसकी जांच करेगी और उस पर अपनी आवश्यक संस्तुति प्रस्तुत करेगी। बजट आकलनों को वित्त समिति की सिफारिशों के साथ स्वीकृति के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा। उसके उपरांत उन आकलनों को अनुमोदन के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जो गत वर्ष के नवंबर के 30वें दिन के बाद नहीं होगा। यदि आवश्यक हो तो सरकार द्वारा अनुमोदित प्राकलनों को संशोधन के लिए वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा।

4. सोसायटी की निधियों को किसी प्रकार व्यय के लिए विनियोजित नहीं किया जाएगा यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों और उपनियमों के तहत स्वीकृत न किया गया हो।

*5. विनियोग की प्राथमिक इकाइयाँ आमतौर पर होंगी–

(क) अधिकारियों के वेतन और भत्ते;
(ख) स्थापना के वेतन और भत्ते;
(ग) अध्येताओं का मानदेय और भत्ते (यात्रा भत्ते आदि);
(घ) अन्य शुल्क
(1) संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/सम्मेलन;
(2) पुस्तकालय (पुस्तकें, पत्रिकाएं और उपकरण);
(3) प्रकाशन/मुद्रण;
(4) विद्वानों को वित्तीय सहायता और अन्य अकादमिक व्यय;
(5) सोसायटी, शासी निकाय, वित्त समिति और अन्य समितियों की बैठकें;
(6) आकस्मिकताएं और
(7) सम्पदा का रखरखाव,

उसके अधीनस्थ माध्यमिक इकाइयों को आवश्यकता पड़ने पर आरंभ किया जा सकता है। अन्य प्राथमिक इकाइयाँ, जब आवश्यक समझा जाए, अध्यक्ष के अनुमोदन से आरंभ की जा सकती हैं।

*विभिन्न मदों और योजनाओं के अंतर्गत प्रगतिशील व्यय की सूचना शासी निकाय को उसकी बैठकों में दी जाएगी।

6. निदेशक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मदों पर व्यय के लिए स्वीकृत प्राकलनों के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि में से उचित धनराशि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

**7. निदेशक के पास विनियोग की एक इकाई से विनियोग की दूसरी अनुमोदित इकाई के लिए निधियों को पुनः विनियोजित करने की पूर्ण शक्ति होगी बशर्ते कि पुनर्विनियोग 1.00 लाख रुपये से अधिक न हो। इस सीमा से अधिक पुनर्विनियोग के लिए अध्यक्ष, वित्त समिति या अध्यक्ष, शासी निकाय का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। एक अकादमिक शीर्ष से एक गैर–शैक्षणिक शीर्ष के लिए किसी भी पुनर्विनियोजन के लिए अध्यक्ष, शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति होनी चाहिए।

8. स्वीकृत बजट प्राकलन धनराशि में से कोई व्यय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना खर्च नहीं किया जाएगा।

---

* दिनांक 24.9.70 को आयोजित शासी निकाय की 24वीं बैठक में अनुमोदन के उपरांत प्रतिस्थापित।

** 21 सितंबर 1999 को शासी निकाय 100वीं बैठक में अनुमोदन के उपरांत प्रतिस्थापित।

9. अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन रहते हुए, निदेशक के पास स्वीकृत बजट में शामिल किसी मद पर व्यय के विवरण को स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा, बशर्ते कि यदि किसी मद पर व्यय उसके अधीन निहित शक्तियों से अधिक हो तो वह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेगा। अन्य सभी मामलों के संबंध में, वह भारत सरकार के मंत्रालयों को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेगा।

*अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, निदेशक द्वारा अध्यक्ष को विधिवत सूचित किया जाना चाहिए।

10. शासी निकाय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अलावा सचिव, कार्यालय प्रमुख होने के नाते समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।
11. स्वीकृत व्यय तब तक अंतिम नहीं माना जाएगा जब तक कि इन उप–नियमों के तहत धन के विनियोग द्वारा सुरक्षित न किया जाए।
12. वर्ष के लिए प्रत्येक इकाई के तहत शुद्ध विनियोग से अधिक व्यय के लिए निदेशक की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
13. सोसायटी की निधियों का निवेश इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता हो।
14. सोसायटी की निधियों के सभी निवेश सोसायटी के नाम से किए जाएंगे और ऐसे निवेशों के संबंध में सभी लेन–देन अध्यक्ष के प्राधिकार पर किए जाएंगे। उक्त उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से सचिव द्वारा निष्पादित किया जाएगा। सचिव के पास ऐसे सभी दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा होगी।
15. नियम–55 में निर्धारित तरीके से धनराशि आहरित की जाएगी। इस संबंध में चैक बुक निदेशक द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेंगी।
16. सोसायटी के खातों का रखरखाव इस तरह से किया जाएगा जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
17. सोसायटी की निधि से सभी प्रकार के भुगतानों के लिए लेखा अधिकारी बैंक चैक जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

    इस संदर्भ में निम्नलिखित रजिस्टरों का रखरखाव किया जाएगा–

    (क) उन अधिकारियों का वेतन रजिस्टर जिनके वेतन और भत्ते व्यक्तिगत बिलों पर आहरित किए जाते हैं;
    (ख) स्थापना वेतन बिल रजिस्टर;
    (ग) अनियमित भुगतान से संबंधित आपत्ति पुस्तिका;
    (घ) निपटान की प्रतीक्षा में धन राशियों से संबंधित रजिस्टर; तथा

---

* 21 सितंबर 1999 को आयोजित शासी निकाय की 100वीं बैठक में अनुमोदन के उपरांत प्रतिस्थापित।

(ङ) वित्तीय और अन्य प्रत्यायोजनों के रजिस्टर।

18. लेखा अधिकारी आपत्ति पुस्तिका में सभी आपत्तियों की प्रविष्टि करेगा जिन्हें वह प्रस्तावित व्यय के विरुद्ध उठा सकता है। किसी भी भुगतान से पहले, जिस व्यय पर आपत्ति दर्ज की गई है, उस आपत्ति पुस्तिका को सचिव, या निदेशक, जैसा भी उचित हो, को प्रस्तुत किया जाएगा, और सचिव या निदेशक, जैसा भी मामला हो, इस तरह के भुगतान से पूर्व उक्त आपत्ति पर अपने आदेशों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

19. संस्थान के खातों की वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा द्वारा की जाएगी और इस तरह की लेखापरीक्षा के संबंध में हुए किसी भी व्यय का भुगतान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संस्थान द्वारा किया जाएगा।

20. भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक या संस्थान के खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के पास लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार होंगे जो नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के पास सरकारी खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में हैं और विशेष रूप से, बहियों, खातों, संबंधित वाउचरों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों और कागजात को प्रस्तुत किए जाने की मांग करने का अधिकार होगा।

अनुबंध और मुकदमेबाजी

21. जब तक अन्यथा का प्रावधान न हो, सोसायटी की ओर से सभी अनुबंधों को सचिव द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

22. सभी अनुबंधों के रूपों और सारों को अंततः निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

23. सचिव के पास निदेशक के पूर्वानुमोदन से सोसायटी की ओर से मुकदमे या अन्य कार्यवाही दायर करने और बचाव करने और सोसायटी से संबंधित किसी भी विवाद को लेकर समझौता करने, निपटाने या मध्यस्थता करने की शक्ति होगी।

नियुक्तियां

24. सोसायटी के अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाएगा–

(क) अकादमिक कार्य से संबंधित

(ख) प्रशासनिक, मंत्रालयिक, लेखा और तकनीकी और

(ग) अधीनस्थ कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी)।

*25. (क) प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्तियों की संख्या और अध्येतावृत्तियों के अनुदान के निबंधन एवं शर्तों का निर्धारण शासी निकाय द्वारा समय–समय पर जारी सरकार के निर्देशानुसार तथा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अन्य शोध संस्थानों में अध्येताओं की परिलब्धियों के संशोधन के आलोक में किया जाएगा।

(ख) अध्येताओं के चयन में दृष्टिकोण की बहुलता होनी चाहिए, जो केवल उन आवेदकों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवदेन किया हो। निदेशक और शासी निकाय/सोसायटी के सदस्यों द्वारा सुझाए गए प्रख्यात विद्वानों के नाम, क्षेत्रीय या उप–क्षेत्रीय आधार पर किए गए प्रयासों के माध्यम से पहचानी गई प्रतिभाओं और सेमिनारों में भाग लेने वालों, जिनकी क्षमता का आकलन किया जा सकता है, उन्हें भी अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए विचार किया जा सकता है। इन सभी मामलों में, तथापि, अध्येताओं का अंतिम चयन अध्येतावृत्ति निर्णायक समिति/फेलोशिप अवार्ड कमेटी के माध्यम से होना चाहिए, जिसमें उचित संख्या में बाहरी विशेषज्ञ हों। इस प्रयोजन के लिए, वर्ष की शुरुआत में विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार किया जाना चाहिए। निदेशक सभी चयन समितियों का अध्यक्ष होना चाहिए और अध्येताओं का चयन समितियों की सिफारिशों पर शासी निकाय के अनुमोदन के उपरांत होना चाहिए। शासी निकाय के एक प्रस्ताव द्वारा फैलोशिप पुरस्कार स अध्येतावृत्ति निर्णायक समिति/फेलोशिप अवार्ड कमेटी की संरचना को परिभाषित किया जा सकता है।

(ग) शासी निकाय के प्रस्तावों के अनुसार राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान की जाएगी।

(घ) शासी निकाय द्वारा योजना, अनुसंधान और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के बारे में परामर्श के लिए एक अकादमिक समिति का गठन किया जा सकता है। निदेशक इस समिति का अध्यक्ष होगा। शासी निकाय के अध्यक्ष के परामर्श से निदेशक द्वारा अकादमिक समिति का गठन किया जा सकता है।

---

* 21 सितंबर 1999 को आयोजित शासी निकाय की 100वीं बैठक में अनुमोदन के रूप में संशोधित।

अन्य पद

*26. हटाया गया

*27. हटाया गया

*28. (क) हटाया गया

(ख) हटाया गया

29. फिलहाल आवश्यक संशोधन तक सोसायटी में सेवारत अधिकारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 और केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, लागू होंगे।

30. यात्रा भत्ता, छुट्टी, वेतन वृद्धि, वेतन आदि सभी मामलों में, भारत सरकार द्वारा बनाए गए मौलिक और पूरक नियम और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी ऐसे अन्य नियम और आदेश सोसायटी के पदाधिकारियों पर यथावश्यक लागू होंगे।

31. सोसायटी अपने कर्मकचारियों के लाभ के लिए एक पेंशन निधि का गठन और रखरखाव करेगी।

सामान्य

32. सोसायटी के बेहतर प्रशासन के लिए अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन पर निदेशक और सचिव द्वारा सोसायटी के किसी भी अधिकारी को शक्तियाँ प्रदान की जा सकती हैं।

33. सक्षम प्राधिकारियों की सभी स्वीकृतियां और आदेश सचिव के अधीन प्रमाणित होंगे।

34. उप–नियमों में कोई भी परिवर्तन शासी द्वारा किया जा सकता है।

अतिरिक्त प्रावधान

35. प्रत्यायोजित शक्तियों से परे वित्तीय मामलों पर वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों और संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष में परस्पर असहमति होने पर निर्णय के लिए मामला भारत सरकार के शिक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री को भेजा जा सकता है।

**36. संगम–ज्ञापन तथा नियम व विनियम तथा में उल्लेखित शब्द 'सचिव (प्रशासन एवं वित्त)' को 'सचिव' के रूप में पढ़ा जाएगा और उनमें आने

---

* 21 सितंबर 1999 को आयोजित शासी निकाय 100 वीं बैठक में अनुमोदन के उपरांत हटा दिया गया।

** दिनांक 3.4.1996 को शासी निकाय की 88वीं बैठक में अनुमोदन के रूप में प्र. तिस्थापित।

वाले शब्द 'सचिव (अकादमिक)' को हटा दिया जाएगा।

37. (क) ग्रुप 'ए' के समकक्ष पदों का सृजन शासी निकाय द्वारा शिक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के माध्यम से वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से किया जा सकता है।

(ख) ग्रुप 'बी', 'सी' और 'डी' के समकक्ष पदों का सृजन शिक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के परामर्श पर सचिव, शिक्षा विभाग के अनुमोदन से शासी निकाय द्वारा किया जा सकता है।